देओ दत्ता शर्मा बनाम मनोहर लाल, आदि (जस्टिस संधावालिया)
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा (1975) 2

पुनरीक्षण अपराधी

जस्टिस एस.एस. संधावालिया के समक्ष

याचिकाकर्ता - देवदत्त शर्मा

बनाम

प्रतिवादी - मनोहर लाल, आदि

सी.आर.एल. रेवन. 1973 का क्रमांक 544

26 अक्टूबर 1973

दंड प्रक्रिया संहिता (1898 का अधिनियम 5)-धारा 516-ए- किसी मामले की जांच के दौरान पुलिस की आपराधिक अदालत के समक्ष पेशी-उसके द्वारा जब्त किए गए मोटर वाहन की हिरासत के लिए प्रतिद्वंद्वी के दावे-क्या शीघ्रता से निर्णय लिया जाना चाहिए-स्थगन ऐसे दावों का निर्णय - क्या यह न्यायिक विवेक का गलत प्रयोग है - जब्त किए गए मोटर वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र और बीमा पॉलिसी का धारक - क्या प्रथम दृष्टया परीक्षण के दौरान वाहन की हिरासत का हकदार है,

यह माना गया कि एक मोटर वाहन की हिरासत के मुद्दे पर निर्णय लेने से इनकार करना अनुचित है, जिसे आपराधिक अदालत के समक्ष या तो किसी अपराध के विषय के रूप में या अपराध के लिए उपयोग किए जाने के रूप में प्रस्तुत किया गया है, केवल इस आधार पर कि कुछ कुछ दलों द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी दावों पर निर्णय लेने में कठिनाई शामिल है। हालाँकि एक आपराधिक अदालत स्वामित्व के जटिल मुद्दों को निर्धारित करने के लिए एक मंच नहीं है, जिसे अंततः सिविल अदालत के समक्ष निर्णय के लिए जाना चाहिए। हालाँकि, इन मामलों में आपराधिक अदालत का भी यह समान रूप से कर्तव्य है कि वह शीघ्रता से निर्णय ले कि प्रथम दृष्टया कब्जे का हकदार कौन है और ऐसे दावेदार को वाहन सौंप दे और अन्य पक्षों को उनके नागरिक उपचार के लिए छोड़ दे। किसी मामले के अंतिम निर्णय तक ट्रायल कोर्ट द्वारा मोटर वाहन की हिरासत के मुद्दे को लापरवाही से स्थगित करना न्यायिक विवेक का एक गलत अभ्यास है जिसमें लंबा समय लग सकता है। असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर जांच के दौरान जब्त किए गए मोटर वाहन की हिरासत के मुद्दे पर (परीक्षण के दौरान इसके उत्पादन के लिए पर्याप्त सुरक्षा के साथ) शीघ्रता से निर्णय लिया जाना चाहिए।

माना गया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 22, 23, 24, 26 और 31 में निहित अनिवार्य प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राथमिक नहीं तो निर्णायक सबूत है जो दर्शाता है कि इसका धारक मालिक है उसमें निर्दिष्ट मोटर वाहन का. यह समान रूप से स्वयंसिद्ध है कि कब्जे में होने का अनुमान सही स्वामित्व के तथ्य से उत्पन्न होता

है। इसलिए, पंजीकरण प्रमाणपत्र धारक अपने पक्ष में सबसे मजबूत धारणा का दावा करने का हकदार है कि वह मोटर वाहन के भौतिक कब्जे (वास्तव में या रचनात्मक रूप से) का असली मालिक है। जब तक इस धारणा का खंडन करने के लिए स्पष्टतम और बिल्कुल निर्णायक सबूत न हो, मोटर वाहन के पंजीकृत मालिक को उसकी अभिरक्षा और कब्जे के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। पंजीकरण प्रमाणपत्र से जो कुछ निकलता है, वह मोटर वाहन के बीमा प्रमाणपत्र पर भी लागू होता है, हालांकि थोड़ा कम बल के साथ। इसलिए एक दावेदार, जिसके पास मोटर वाहन के पंजीकरण का प्रमाण पत्र और साथ ही उसका बीमा प्रमाण पत्र है, प्रथम दृष्टया इसकी हिरासत का हकदार है और परीक्षण के दौरान उसे वाहन की हिरासत से इनकार नहीं किया जा सकता है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत श्री एन.एस. राव, सत्र न्यायाधीश अम्बाले के 5 मई, 1973 के आदेश की पुनरीक्षण याचिका, जिसमें श्री बी.आर. वोहरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बाला छावनी के 31 मार्च, 1973 के फैसले की पुष्टि की गई थी, को खारिज कर दिया गया। आवेदन और आगे आदेश दिया गया है कि कार को किसी भी रार्टी को जारी करने का प्रश्न एमटीआईएन मामले में अंतिम आदेश पारित होने के समय तय किया जाएगा।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर शर्मा

महाधिवक्ता की ओर से वकील एस. के. लांबा

प्रतिवादी संख्या 1 के लिए वकील वाई. पी. गांधी

निर्णय

संधवालिया, जे.-यह आपराधिक पुनरीक्षण एक मोटर वाहन की हिरासत के लिए प्रतिद्वंद्वी दावों की योग्यता से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाता है, जिसे एक आपराधिक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है या तो किसी अपराध की विषय-वस्तु के रूप में या इसके लिए उपयोग किए जाने के रूप में एक का कमीशन हाल ही में ऐसे प्रश्न लगातार बार-बार उठते हैं और इसलिए गहन विश्लेषण की आवश्यकता होती है।

(2) उत्तर प्रदेश के हापुड शहर में मोटर कार संख्या डीएलके 1661 की चोरी के संबंध में एक मामला दर्ज किया गया था। हालाँकि, उपरोक्त वाहन 20 जुलाई, 1972 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 550 के तहत अंबाला छावनी में पाया गया और पुलिस द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया। मनोहर लाई और पियारे लाई के बाद हुई जांच के आधार पर उत्तरदाताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के तहत आरोप पर मुकदमे के लिए भेजा गया है। पहले चरण में यह वाहन आरोपी-प्रतिवादी मनोहर लाई द्वारा दायर एक आवेदन पर अंबाला कैंट के एक निवासी को सपुरदारी पर दिया गया था। हालाँकि, अभियोजन पक्ष ने उपर्युक्त सपुरदारी को रद्द कर

दिया। इसके बाद वर्तमान याचिकाकर्ता श्री देवदत्त शर्मा ने खुद को वाहन का पंजीकृत मालिक और इसके बीमा प्रमाण पत्र का धारक होने का दावा करते हुए मोटर-कार की कस्टडी प्राप्त करने के लिए एक आवेदन दायर किया, लेकिन दूसरी ओर आरोपी-प्रतिवादी मनोहर लाई थे। ट्रायल कोर्ट के समक्ष भी इसी तरह की प्रार्थना की। विद्वान मजिस्ट्रेट ने उपरोक्त दोनों व्यक्तियों की हिरासत के दावों को खारिज कर दिया और दोनों को इस आधार पर खारिज कर दिया कि कानून और तथ्य के कठिन प्रश्न शामिल थे क्योंकि प्रत्येक पक्ष अपने पक्ष में कुछ दस्तावेजों पर भरोसा कर रहा था। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी पक्ष को मोटर वाहन जारी करने का प्रश्न आपराधिक मामले के अंतिम निर्णय के समय तय किया जाएगा। अपने आवेदन की अस्वीकृति से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने पुनरीक्षण के लिए विद्वान सत्र न्यायाधीश, अंबाला का रुख किया, जिन्होंने हालांकि, इसे इस टिप्पणी के साथ सरसरी तौर पर खारिज कर दिया कि ट्रायल मजिस्ट्रेट के आदेश में कोई गलती नहीं पाई जा सकती।

(3) बढ़ती मुद्रास्फीति के साथ यह अनिवार्य रूप से ध्यान में रखना होगा कि मोटर-वाहन अब कुछ बहुत मूल्यवान संपत्ति बन गए हैं - उनकी लागत और उनके उपयोग के संबंध में। दरअसल वाणिज्यिक वाहनों के मामलों में मालिकों की आजीविका उनके रोजगार पर निर्भर करती है। इक्विटी पेटेंट यह है कि मोटर-वाहनों को चलने की स्थिति में सबसे अच्छा बनाए रखा जाता है और लंबे समय तक भंडारण अनिवार्य रूप से उनकी मशीनरी और विशेष रूप से उनके अधिक कमजोर हिस्सों को खराब कर देता है। फिर से इन वाहनों से उनके हिस्सों की

आसानी से चोरी हो जाती है और उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है। कष्टदायक तथ्य का सामना करना पड़ा है कि मुकदमेबाजी की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से धीमी हो जाती है और आपराधिक मामले में भी सुनवाई, अपील और पुनरीक्षण की प्रक्रिया वर्षों नहीं तो महीनों में चल सकती है। इसलिए केवल इस आधार पर हिरासत के मुद्दे पर निर्णय लेने से इनकार करना अनुचित है कि पार्टियों के प्रतिद्वंद्वी दावों पर निर्णय लेने में कुछ कठिनाई शामिल है। बेशक यह अच्छी तरह से स्थापित है कि आपराधिक न्यायालय स्वामित्व के जटिल मुद्दों को निर्धारित करने के लिए एक मंच नहीं है, जिसका निर्णय अंततः सिविल न्यायालय के समक्ष जाना चाहिए। हालाँकि, इन मामलों में यह समान रूप से ट्रायल कोर्ट का कर्तव्य है कि वह शीघ्रता से निर्णय ले कि प्रथम दृष्टया कब्जे का हकदार कौन है और ऐसे दावेदार को वाहन सौंप दे और अन्य पक्षों को नागरिक कानून के तहत उनके उपचार के लिए छोड़ दे। इसलिए मैं यह मानने को इच्छुक हूं कि किसी मामले के अंतिम निर्णय तक ट्रायल कोर्ट द्वारा मोटर वाहन की हिरासत के मुद्दे को लापरवाही से स्थगित करना न्यायिक विवेक का एक गलत प्रयोग है, जिसमें अभी भी लंबा समय लग सकता है। असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मोटर-वाहन की हिरासत का मुद्दा (परीक्षण के दौरान इसके उत्पादन के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ) शीघ्र तय किया जाना चाहिए।

(4) वर्तमान मामले में यह विवादित प्रतीत नहीं होता है कि याचिकाकर्ता मोटर-कार संख्या डीएलके 1661 का पंजीकृत मालिक है। मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों से जुड़ा

पंजीकरण प्रमाण पत्र उसके नाम पर है। यह भी स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता अपने नाम पर कार को कवर करने वाली बीमा पॉलिसी का धारक है। इतना ही नहीं याचिकाकर्ता ने मेसर्स पवार मोटर्स एंड जनरल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के एक हलफनामे के साथ भी अपने दावे का समर्थन किया है, जिसमें यह कहा गया है कि जिस मोटर-कार की बात हो रही है, वह उपरोक्त कंपनी द्वारा पहले बेची गई थी। याचिकाकर्ता किराया खरीद के आधार पर और याचिकाकर्ता ने कार की पूरी कीमत का भुगतान कर दिया है। यह स्पष्ट है कि पिछले पंजीकृत मालिक ने वाहन को याचिकाकर्ता को हस्तांतरित कर दिया है। इसलिए, महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि क्या इन स्वीकृत तथ्यों पर याचिकाकर्ता को प्रथम दृष्टया वाहन के कब्जे का हकदार माना जाना चाहिए।

(5) इस संबंध में निर्देशात्मक रूप से मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के अनिवार्य प्रावधानों का संदर्भ दिया जा सकता है। अध्याय III में मोटर वाहनों के पंजीकरण का प्रावधान है और धारा 22 और 23 मोटर के मालिक पर एक अनिवार्य शुल्क लगाते हैं। वाहन को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर चलाने की अनुमति देने से पहले वाहन को उस राज्य में पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत किया जाना चाहिए जिसमें ऐसे मालिक का निवास या व्यवसाय स्थान है। धारा 24 उपर्युक्त पंजीकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया बताती है और धारा 26 में प्रावधान है कि वाहन को पंजीकरण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि वह संतुष्ट हो सके कि मोटर वाहन के बारे में विवरण और स्वामित्व का दावा सही है। इसके बाद

मोटर वाहन के मालिक के पक्ष में फॉर्म 'जी' में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। इसके बाद मोटर वाहन के स्वामित्व का कोई भी हस्तांतरण अधिनियम की धारा 31 में प्रदान किया जाता है। इसमें यह आदेश दिया गया है कि स्थानांतरणकर्ता मोटर वाहन के हस्तांतरण के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण प्राधिकारी को इस तथ्य के बारे में रिपोर्ट करेगा और समान रूप से स्थानांतरणकर्ता का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वह स्थानांतरण के 30 दिनों के भीतर अपने पक्ष में स्थानांतरण की रिपोर्ट करे। इसके अलावा यह प्रावधान किया गया है कि अंतरिती पंजीकरण प्रमाणपत्र को पंजीकरण प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा ताकि स्वामित्व में परिवर्तन का विवरण पंजीकरण प्रमाणपत्र में दर्ज किया जा सके। इन प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राथमिक है, यदि निर्णायक साक्ष्य नहीं है, तो इसका धारक उसमें निर्दिष्ट मोटर वाहन का मालिक है। यह समान रूप से स्वयंसिद्ध है कि कब्जे में होने का अनुमान सही स्वामित्व के तथ्य से उत्पन्न होता है। इसलिए पंजीकरण प्रमाणपत्र धारक अपने पक्ष में सबसे मजबूत धारणा का दावा करने का हकदार है कि वह मोटर वाहन के भौतिक कब्जे (वास्तव में या रचनात्मक रूप से) का असली मालिक है। जब तक इस धारणा का खंडन करने के लिए स्पष्ट और बिल्कुल निर्णायक सबूत न हो, मोटर वाहन के पंजीकृत मालिक को उसकी हिरासत और कब्जे के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

(6) पंजीकरण प्रमाणपत्र के संदर्भ में ऊपर जो कहा गया है वह बीमा प्रमाणपत्र पर भी थोड़ा कम बल के साथ लागू होता है। अधिनियम की धारा 93 अधिकृत बीमाकर्ताओं के साथ-साथ

बीमा प्रमाणपत्र को भी परिभाषित करती है और अगली धारा 94 सार्वजनिक स्थान पर किसी के द्वारा वाहन का उपयोग करने से पहले तीसरे पक्ष के जोखिमों के खिलाफ मोटर वाहन के बीमा की आवश्यकता को अनिवार्य रूप से बताती है। धारा 103-ए तब बीमा प्रमाणपत्र के हस्तांतरण के तरीके का प्रावधान करती है, यदि वाहन बाद में कानूनी रूप से दूसरे को स्थानांतरित कर दिया जाता है।

(7) वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि वह मोटर कार के पंजीकरण प्रमाणपत्र का धारक है। साथ ही वाहन के बीमा का प्रमाणपत्र भी उसके नाम पर है। इसके अलावा पहले पंजीकृत मालिक ने एक हलफनामा दिया है कि विचाराधीन कार याचिकाकर्ता को विधिवत हस्तांतरित की गई थी और उसका भुगतान पूरी तरह से किया गया है। इसके विरुद्ध आरोपी मनोहर लाई ने कुछ विशेष याचिका दायर की थी कि उसने छेदू लाल नामक व्यक्ति से किस्त पर कार खरीदी थी। यह छेदू लाल कौन है और कार पर उसका क्या अधिकार या स्वामित्व था या उसे आरोपी को हस्तांतरित करने की उसकी क्षमता क्या थी, यह दूर-दूर तक स्पष्ट नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि इस तरह की कोई भी अप्रमाणित याचिका पंजीकरण प्रमाणपत्र के पेटेंट के प्रथम दृष्टया मूल्य और याचिकाकर्ता द्वारा रखे गए बीमा प्रमाणपत्र से कैसे अधिक हो सकती है। इसलिए मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता स्पष्ट रूप से मुकदमे के दौरान वाहन की हिरासत का हकदार है।

(8) मैं ऊपर बताए गए विचार को सैद्धांतिक रूप से अपनाने के लिए इच्छुक हूं, जिसे प्राधिकरण द्वारा भी समान रूप से समर्थन प्राप्त है। मातादीन शर्मा बनाम द किंग(1) में जहां ट्रायल कोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 516-ए के तहत एक ट्रक को रिहा करने से इनकार कर दिया था, मेरेडिथ, जे. द्वारा संशोधन की अनुमति स्पष्ट टिप्पणियों के साथ दी गई थी कि यह बिल्कुल भी उचित नहीं था। या सिर्फ यह कि किसी व्यवसायी के ट्रक को केवल मामले में एक प्रदर्शनी के रूप में उपयोग करने के लिए लगभग नौ महीने तक हिरासत में रखा जाना चाहिए। डिवीजन बेंच के फैसले में सरदार सिंह कोहली बनाम मैसर्स के रूप में रिपोर्ट किया गया। स्वास्तिक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन (पी) लिमिटेड, नई दिल्ली (2), मामले पर कुछ विस्तार से विचार किया गया और निम्नलिखित पाया गया: -

"मोटर वाहन अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुसरण में बिहार के राज्य अधिकारियों द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र और सड़क परमिट में यह माना जाता है कि प्रमाण पत्र और सड़क परमिट धारक के पास वाहन का कब्जा था।"

चंदर भान बनाम राज्य (3) में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी इसी तरह का विचार रखते

(1) ए.आई.आर. 1949 पटना 44.

(2) 1964 (2) सीआरआई. एल.जे. 492.

(3) 1971 सीआरआई. एल.जे 167.

हुए कहा था कि वाहन के मालिक को पर्याप्त सुरक्षा के साथ सपुर्दगीनामा पर इसकी हिरासत की अनुमति दी जानी चाहिए।

(9) इसलिए मेरा मानना है कि ट्रायल कोर्ट ने मामले के अंतिम निर्णय तक हिरासत के मुद्दे को स्थगित करके अपने विवेक का प्रयोग करते हुए स्पष्ट रूप से गलती की है। समान रूप से, इस तथ्य के बावजूद कि वह प्रश्न में कार का पंजीकृत मालिक और बीमाकर्ता था, याचिकाकर्ता को कब्ज़ा देने से इनकार करना उचित नहीं था। आवश्यकता पड़ने पर प्रदर्शनी के रूप में कार का उत्पादन न किए जाने का डर भी इस रिकॉर्ड पर निराधार प्रतीत होता है। इसलिए मैं कार्यवाही के दौरान ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर देता हूं और निर्देश देता हूं कि वाहन को याचिकाकर्ता को सौंपा जाए, जब वह ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है और पहचान आदि के उद्देश्य से जरूरत पड़ने पर उसे पेश करने का वचन देता है।

…….

बी. एस. जी.

……..

देओ दत्ता शर्मा बनाम मनोहर लाल, आदि (जस्टिस संधावालिया)
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा (1975) 2

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अंकिता महाजन

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

कैथल, हरियाणा